वृक्ष नीलामी की सूचना

पत्रांक 826 /5(2)/8–2018–19 कानपुरः दिनांक 2 जून 2018

उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान,उ0प्र0, कानपुर के प्रांगण में निदेशक शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान ,उ0प्र0, कानपुर द्वारा निम्न विवरण के अनुसार वृक्षों की "जहॉ है, जैसा है" के आधार पर दिनांक 17.07.2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे नीलामी की जायेगी।

कमांक	वृक्ष का प्रकार	वृक्ष की गोलाई	वृक्ष की संख्या
1	सागौन हरा– खड़ा	50, 140, 115, 125 से0मी0	04
2.	नीम हरा– खड़ा	123, 125 से0मी0	02
3.	पीपल हरा– खड़ा	40 से0मी0	01
4.	पाकड़ हरा–खड़ा	260 से0मी0	01
5.	शीशम हरा– खड़ा	175 से0मी0	01
6.	चितवन हरा– खड़ा	120 से0 मी0	01
7.	बाटल बुश हरा– खडा	105 से0 मी0	01

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी में सम्मिलित होने के पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नगद रु 1000.00 (रुपया एक हजार मात्र) धरोहर के रुप में जमा करना अनिवार्य होगा, तभी बोली में सम्मिलित किया जायेगा।
2. जिस व्यक्ति की बोली न्यूनतम राजकीय मूल्य से अधिकाधिक होगी, के पक्ष में नीलामी को अंतिम रुप प्रदान किया जायेगा।
3. जिसके पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी उसको नियमानुसार 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 देय होगा।
4. यदि नीलामी समिति(जिसके द्वारा नीलाम किया जायेगा) यह समझती है कि धनराशि वृक्षो की धनराशि से कम है तो नीलामी स्थगित की जा सकती है।
5. अधोहस्ताक्षरी/नीलामी समिति को किसी भी बोली को निरस्त अथवा समस्त बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
6. नीलामी में प्रतिभाग करने वालों को परामर्श दिया जाता है कि बोली में भाग लेने के पूर्व वृक्षों को व्यक्तिगत रुप से अवलोकन करलें।
7. किसी विवादास्पद मामले में अधोहस्ताक्षरी/नीलामी समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा। जिसकी किसी भी न्यायालय आदि में चुनौती नही दी जा सकेगी।
8. नीलामी के पश्चात स्वीकृत बोलीदाता को बोली की 25 प्रतिशत धनराशि बोली समाप्त होने बाद तुरन्त नगद जमा करनी होगी। अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि तथा वांछित जी0एस0टी0 की धनराशि इस कार्यालय में जमा करने के पश्चात ही वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(मनोज कुमार)
निदेशक
शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान,उ0प्र0,
कानपुर।